निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान जयपुर। 78-128

क्रमांक एफ नवीनवर्जन / 3.0(383)पार्ट–I / बीमा / व्य0एवंप0 / 2021–22 / दिनांकः 05/05/2023

परिपत्र

राज्य बीमा ऋण दिनांक 01.06.2023 से जीपीएफ आहरण की भांति ऑन लाईन आवेदन किये जाने पर स्वचालित प्रकिया के तहत रियल टाइम बेसिस पर ऑटो स्वीकृत किये जावेगें। बीमा ऋण का भुगतान पै--मैनेजर के माध्यम से बीमेदार के बैंक खातों में सीधे ही जमा किया जावेगा। बीमा ऋण ओटो अप्रूवल किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को निम्न प्रकार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. समस्त राज्य बीमा पॉलिसियों को उनकी एम्प्लायी आईडी से टैग किया जाना आवश्यक है। शून्य पॉलिसी संख्या की जिलेवार सूची दिनांक 02.05.2023 को जरिये ई–मेल सभी जिला कार्यालयों को भिजवा दी गई है। कर्मचारी की सही बीमा पॉलिसी से उसकी एम्प्लायी आईडी को टैग कराने की कार्यवाही तत्काल करावें।
2. पोर्टल पर डुप्लीकेट /गलत अथवा फेक पॉलिसी संख्या के प्रकरणों मे बीमा ऑटो ऋण स्वीकृत नही किया जाना है। ऐसी पॉलिसियों की तत्काल पहचान कर उसमे आवश्यक संशोधन अथवा डीलिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. ऐसी एम्पलायी आईडी जिसमें कार्मिक पर राज्य बीमा योजना लागू ही नही है, उनमें राज्य बीमा योजना को डिलिट कराने की कार्यवाही की करावें।
4. ऐसे कार्मिकों जिनके द्वारा अन्तिम राज्य बीमा ऋण ऑफ लाईन लिया गया है उनकी एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर दिनांक 31.5.2023 तक डेबिट की प्रविष्ठि किये जाने की कार्यवाही करावें। जिसमें टी.वी. नम्बर, दिनांक एवं स्वीकृत राशि अवश्य अंकित की जावें।
5. दिनांक 01.05.2022 से चलाये गये बीमानुबन्ध एवं रिकार्ड को अपडेट करने के अभियान में अधिकांश जिलों द्वारा 85% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समस्त जिलाधिकारी अभियान के बकाया कार्य को दिनांक 31.05.2023 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करावें एवं अप्रूव बीमा रिकार्ड को फ्रीज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें अन्यथा मुख्यालय स्तर से कार्यवाही करवाते हुए अप्रूव रिकार्ड को फ्रीज करवा दिया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation : Director
Date: 2023.05.05 12:47:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3780497

(17)

6. ऑटो अप्रूवल बीमा ऋण स्वीकृत होने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर प्रकरण को पोर्टल पर उपलब्ध करायी गई यूटिलिटी के माध्यम से संबंधित जिलें के रिलेशनशीप मैनेजर को अग्रेषित किया जावेगा। समस्या का निराकरण रिलेशनशीप मैनेजर द्वारा अधिकतम 10 दिवस में किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
7. 01.04.2022 एवं इससे पूर्व वर्षो की बकाया बीमा पॉलिसी को नियमानुसार तत्काल जारी किये जाने के संबंध में पूर्व में नियमित रूप से निर्देशित किया जाता रहा है। जिला अधिकारी बकाया समस्त बीमा पॉलिसियों को तत्काल नियमानुसार जारी करावें। इस हेतु संबंधित कर्मचारी एवं उसके आहरण एवं वितरण अधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक कमियों की पूर्ति करावें।
8. दिनांक 01.06.2023 के पश्चात् किसी भी कार्मिक का राज्य बीमा ऋण मैन्यूवल स्वीकृत नही किया जावेगा। इस तिथि से पूर्व के रिर्टन/रिजेक्ट किये गये प्रकरणों को भी ओटो अप्रूवल प्रकिया के माध्यम से ही निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

समस्त जिला अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता से उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरल, सुगम, त्वरित एवं निर्बाध राज्य बीमा ऋण ऑटो अप्रूवल किया जा सकें।

भवदीया

निदेशक

78-128

क्रमांक एफ नवीनवर्जन/3.0(383)पार्ट–I /बीमा/व्य0एवंप0/2021–22/ दिनांकः 05/05/2023.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक, महोदय मुख्यालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ/अतिरिक्त निदेशक सिस्टम,मुख्यालय बीमा ऋण ऑटो अप्रूवल के संबंध में पोर्टल पर आवश्यक यूटिलिटी/वेलिडेशन/इन्टीग्रेशन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (समस्त संभागीय कार्यालय) अपने अधिनस्थ जिला कार्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, (समस्त जिला कार्यालय)।

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation :Director
Date: 2023.05.05 12:47:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3780497